सेवा अधिकार

गुणवत्ता सेवा की सरंचना

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र

सत्यमेव जयते

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
वस्त्र मंत्रालय,
भारत सरकार
मुंबई.

विद्युतकर्घा सेवा केन्द्र
सेवा चार्ट

हमारा लक्ष्य

अपनी अभिगम्य सीमाओं में विद्युतकर्घा इकाइयाँ विकसित करना ताकि वह घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को निरन्तर पूरा कर सके और अपने लाभों का मूल्यांकन करते हुए तथा कमियों को दूर करते हुए दृढ़तापूर्वक निर्यात में वृद्धि कर सके ।

हमारी - वचनबद्धता :

- इसके उपक्रमात्मक और सम्बद्ध खंण्डों सहित विकेन्द्रीकृत पावरलूम सेक्टर के संतुलित विकास के लिए समयोचित और सभी प्रकार की गुणवत्ता सेवाएं उपलब्ध कराना ।
- विकेन्द्रीकृत पावरलूम सेक्टर के मित्र, ज्ञाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना ।
- पावरलूम के विकास और वृद्धि के समर्थन के लिए मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करना ।

निम्नलिखित से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं ।

- अभिगम्यता और उत्तरदायित्व
- विनम्रता और मेल-मिलाप
- सेवाओं के प्रति समर्पण और निष्ठा
- वास्तविकता और पारदर्शिता
- तत्परता और कार्यकुशलता

हमारे संसाधन :

- आवश्यक सहायक कर्मचारियों सहित अर्हता प्राप्त तकनीकी कार्मिक ।
- आवश्यकतानूरूप करघे, सहायक उपकरण, अतिरिक्त उपस्कर और प्रशिक्षण सहायता ।
- प्रयोगशाला परीक्षण उपस्कर और उपयोग के लिए आवश्यक सामान ।
- आरेखन विकास विनिमय और मालगोदाम सुविधाएं ।
- पर्याप्त सामग्री युक्त तकनीकी पुस्तकालय ।
- केन्द्र के कार्यकलापों के लिए पुनर्निवेशन मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए मुख्य और उद्योगोन्मुखी सलाहकार समिति ।

<u>हमारी सेवाएं</u>

1. मानव संसाधन विकास-प्रशिक्षण

हम निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ।

- बुनाई पूर्व बुनाई प्रौद्योगिकी के संबंध में नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वस्त्र-आरेखन {फैब्रिक डिजाइन}, मशीन रखरखाव और बुनकरों और कर्घा मालिकों के इस सेक्टर में आधुनिक और उपयुक्त प्रौद्योगिकी सहित सुधार और अद्यतन मानव संसाधन विकास कौशल अर्जित करने के लिए अन्य स्थानीय जरूरतों को पूरा करना ।
- विभिन्न प्रकार का कपड़ा तैयार करने में होने वाली कमियों, ऐसी कमियों को ठीक करने के तरीके और निवारण की पद्धतियों के बारे में गुणवत्ता निरीक्षकों और उत्पादन पर्यवेक्षकों के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम ।
- उद्योगों में नियुक्ति के लिए या उनकी अपनी इकाइयां स्थापित करने में प्रशिक्षार्थियों की सहायता करना और उनके साथ संपर्क बनाए रखना ।
- संबंधित राज्य सरकारों से वृत्तिका के रूप में प्रोत्साहन और बाहरी प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रावास या अन्य उपयुक्त आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

2. गुणवत्ता की जांच :-

हम निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- अपनी परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से {यदि उपलब्ध हो} विद्युतकर्घा और संबंधित सेक्टरों के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्राचलों के लिए विश्वसनीय परीक्षण सेवाएं ।
- उपयोग की जाने वाली विविध परीक्षण सुविधाओं और उपस्करों की एक सूची और परीक्षणों की अनुसूची और शुल्क दर सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

3 मार्गदर्शन और परामर्श :

<u>हम निम्नलिखित के बारे में मार्गदर्शन देते है :-</u>

- करघों का आधुनिकीकरण, आरेखन और उत्पाद विकास, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार, अपशिष्ट आदि को कम करते हुए लागत में कमी ।
- करघों की मरम्मत और निवारक रखरखाव, सहायक और प्रारंभिक मशीनरी ।
- उत्पादन और प्रक्रिया प्रबंधन के मामले में महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर एक ही स्थान पर परामर्श ।

4 डिजाइन विकास, आदान-प्रदान, मालगोदाम और इनका व्यापारीकरण ।

- सी.ए.डी./सी ए.एम. प्रणाली की सहायता से {यदि उपलब्ध हो} स्थानीय कौशल की सहायता से प्रचलित और मांगोन्मुख डिजाइनों का विकास ।
- आंतरिक और बाह्य साधनों से और नेशनल डिजाइन सेन्टर {एन डी सी} सहित नेटवर्किंग के माध्यम से डिजाइन और मोटिफ्स {प्रमुख तत्वों} का संग्रह {बैंक} ।
- स्थानीय और नए डिजाइन कौशल से लाभ उठाते हुए स्थानीय डिजाइन के विकास को हम प्रोत्साहन देंगे ।

5 विपणन सहायता :

- उद्योग और ट्रेड संगठन{नों} द्वारा आयोजित स्थानीय व्यवसाय प्रदर्शियों को सहायता पहुंचाना ।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता संयोजनों, व्यापार शिष्टमंडलों/बिक्री-सह-अध्ययन दलों में स्थानीय सेक्टर के निर्यात प्रोमोशन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और निर्यात प्रोमोशन परिषद के माध्यम से सहभागिता ।
- सूचना प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स को विपणन उपकरण के तौर पर उपयोग को बढ़ावा देना ।

6 समन्वय और सहायता :

हम निम्नलिखित के संबंध में स्थानीय रूप में समन्वय करेंगे :-

- इस क्षेत्र के विकास के लिए, वित्तीय संस्थानों सहित सभी संबंधित संस्थानों से समन्वय करेंगे ।
- संस्थानों और इस क्षेत्र की कठिनाइयों को संबंधित प्राधिकारियों तक पहुंचाने के लिए समन्वय करेंगे ।
- सहकारी समितियां बनाकर, स्थानीय स्वयं-सहायता-ग्रुपों आदि के माध्यम से सामुहिक हितों के लिए जमा धन राशियों निवेशों और बाजार बनाने के लिए समन्वय करेंगे ।

7 सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन :

निम्नलिखत के कार्यान्वयन के लिए हम उत्तरदायी हैं :-

- विकेन्द्रीकृत विद्युतकर्घा सेक्टर, अर्थात विकेन्द्रीकृत सेक्टर में 2.5 लाख अर्धस्वचालित/स्वचालित कर्घा की स्थापना कर बुनाई क्षमताओं के आधुनिकीकरण

के लिए कार्यक्रम बनाना, कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में विशेष विकास कार्यक्रम और उचित जानकारी अभियानों और सहयोगी सेवाओं के माध्यम से टी.यू.एफ.एस.का कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी के चयन,परियोजना निरूपण और बैंकिंग अपेक्षाओं और परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में सहायक सेवाएं देना ।

- विद्युतकर्घा बुनकरों, के लिए कल्याण योजना अर्थात समूह बीमा योजना, वर्कशेड योजना आदि का कार्यान्वयन करेंगे ।

<u>शिकायतें और शिकायतों के कारण :-</u>

- लिखित शिकायतों के लिए विद्युतकर्घा सेवा केन्द्र में एक शिकायत पेटि रखी जाएगी । प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन पेटी के शिकायते, यदि कोई हो, को देखने हेतु खोला जाएगा और प्रत्येक प्राप्त शिकायत पर यथाशीघ्र 30 दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

<u>सहायता और मार्गदर्शक:-</u>

हमारी सेवाओं या प्रतिक्रिया के संबंध में शिकायत कर्ता किसी भी सहायता/मार्गदर्शन के लिए, कृपया निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करें :-

क्र.सं	जिस अधिकारी से संपर्क करना है	पता	फोन नं.
1.	प्रभारी अधिकारी पावरलूम सेवा केन्द्र		पता: फोन:
2.	प्रभारी अधिकारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार		पता: फोन:
3.	निदेशक वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन		पता: फोन:
4.	अपर वस्त्र आयुक्त {पावरलूम}	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, प्रथम तल, न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू.मरीन लाइन, मुंबई: 400 020.	फोन:022-22003912{डी} 22001050 {एक्स.205} टेलेक्स:022 : 22004693/ 22002495 ई-मेल:atcds@eramiul.bom.nic.in.
5.	सहायक निरीक्षण अधिकारी/निरीक्षण अधिकारी वस्त्र समिति का क्षेत्रीय कार्यालय		
6.	पेडेक्सिल की विद्युतकर्घा केन्द्र विकास समिति {पीसीडीसी} के आयोजक		